PIONEER (HINDI), Delhi, 12.10.2022
Page No. 1, Size:(10.35)cms X (12.83)cms.

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए हसन के खिलाफ याचिकाएं की मंजूर

पायनियर समाचार सेवा । नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने तलाक-ए-हसन और अन्य सभी प्रकार के एकतरफा न्याएत्तर तलाक को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को मंगलवार को स्वीकार कर लिया। तलाक-ए-हसन के तहत मुस्लिम समुदाय के पुरुष तीन महीने की अवधि में प्रति माह एक बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ सकते हैं। न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य को चार हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ भी शामिल है। पीठ ने कहा कि निजी प्रतिवादी (शेष पेज 8)

सुप्रीम कोर्ट...

(पति) के वकील उसकी ओर से पेश हुए और यह बात दोहराई कि वह गुजारा भत्ते के मुद्दे पर समझौता करने के लिए सहमत नहीं है। अंतिम सुनवाई के लिए विषय को जनवरी के तीसरे हफ्ते में सूचीबद्ध किया जाए। शीर्ष न्यायालय तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें एक याचिका गाजियाबाद निवासी बेनजीर हिना ने दायर की है। उन्होंने एकतरफा न्याएत्तर तलाक-ए-हसन की पीड़िता होने का दावा किया है। उन्होंने तलाक के लैंगिक एवं धार्मिक रूप से तटस्थ और सभी नागरिकों के लिए एक समान आधार के वास्ते दिशानिर्देश तैयार करने का केंद्र को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। इससे पूर्व, शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पतियों से याचिकाओं पर जवाब मांगा था। मंगलवार को सुनवाई शुरू होने पर बेनजीर के पति की ओर से न्यायालय में पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल की अपनी पत्नी के साथ विवाद में कोई समझौता संभव नहीं है। इस पर, पीठ ने पक्षों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि वह जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा।

PIONEER (HINDI), Delhi, 12.10.2022
Page No. 3, Size:(8.52)cms X (9.08)cms.

होटल में महिला के साथ गैंग रेप, तीन गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक होटल में महिला को ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता के एक जानकार ने मिलने के बहाने उसे इलाके के एक होटल में बुलाया। फिर दो दोस्तों के साथ मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान अजय, तारा चंद, और नरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं।

पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि घटना की सूचना देने के लिए आदर्श नगर थाने के पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) पर रविवार को फोन आया था। महिला ने बताया कि उसे उसके एक परिचित अजय ने रविवार को एक होटल के कमरे में बुलाया था, जहां उसके दो दोस्त भी मौजूद थे। उन्होंने महिला को कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जिससे वह बेहोश हो गई।।

HINDU, Delhi, 12.10.2022
Page No. 12, Size:(12.10)cms X (16.02)cms.

NHRC issues advisory on preventing ocular trauma

The National Human Rights Commission on Tuesday issued an advisory to the Union and State governments to prevent and minimise the impact of ocular trauma, which it said causes 5% of permanent blindness. The NHRC asked the government to identify the industries that have a high potential of ocular trauma and make it mandatory for such units with 50 workers or more to have accident cover of ₹15 lakh for each worker. Among the NHRC's suggestions were a ban on sale of fire-crackers that have the potential to cause eye trauma; ban on sale of bows, arrows, pellet guns and toys that have sharp edges; and mandatory safe packaging and labelling of chemicals for domestic use.

TELEGRAPH, Online, 12.10.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Focus on fuel, sharp toys in advice on eye damage

https://www.telegraphindia.com/india/focus-on-fuel-sharp-toys-in-advice-on-eye-damage/cid/1891487

Promoting clean fuel and well-ventilated kitchens and banning bows, arrows and sharp toys can help minimise eye injury, the National Human Rights Commission has told governments.

The advisory, issued on Tuesday to the Centre, states and Union Territories, also asks them to ensure standardised treatment and rehabilitation for patients of ocular trauma, saying eye injury causes about five per cent of irreversible blindness in the country.

Issued on behalf of the NHRC chairperson, Justice (retd) Arun Mishra, the release says the major contributors to eye injury are road accidents (34 per cent), sports (29 per cent) and the workplace (21 per cent). However, it adds, such injury need not lead to blindness.

The NHRC has asked governments to identify industries with high potential for causing ocular trauma and other industrial accidents. It should be made mandatory for those among these industries that employ 50 or more workers to purchase personal accident cover of at least Rs 15 lakh for each worker, it has recommended.

The NHRC has proposed the establishment of a special fund to provide financial aid to victims of ocular trauma. Some of the recommendations:

Organise eye check-up camps at schools, colleges, slums, industrial clusters and rural areas to detect untreated ocular trauma.
Promote clean fuel and well-ventilated kitchens to prevent eye damage to people cooking at homes, restaurants and community kitchens.
Ban the sale of bows, arrows, pellet guns, toys with sharp edges, and other toys that can cause eye injuries.
Identify and ban firecrackers that may cause eye trauma.
Get an online (web-based) portal to record details of each case of ocular trauma, including the mechanism, circumstances and the objects that caused the trauma.
Make it mandatory for each hospital or medical practitioner to upload details of each case of ocular trauma they encounter.
Involve Integrated Child Development Scheme workers and schoolteachers to identify victims of ocular trauma, counsel them to get treatment, and upload their details on the online portal.
Create public awareness on the major causes of ocular trauma and the precautions needed to avoid eye injury.
Make the use of eye safety gear mandatory for workers engaged in activities that may cause eye injury.
Make it mandatory to pack all chemicals for domestic use in safe containers marked with caution symbols.
Appoint an ophthalmologist to each community health centre and increase the number of ophthalmologists at hospitals.

Sponsor research for the development of low-cost eye care technologies.
Upgrade eye banks and build awareness about eye donation. Create an online portal to register voluntary pledges for eye donation.

HINDU, Online, 12.10.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC issues advisory on preventing ocular trauma

https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-issues-advisory-on-preventing-ocular-trauma/article65996366.ece

The National Human Rights Commission on Tuesday issued an advisory to the Union and State Governments to prevent and minimise the impact of ocular trauma, which it said causes 5% of permanent blindness.

The NHRC asked the government to identify the industries that have a high potential of ocular trauma and make it mandatory for such units with 50 workers or more to have accident cover of ₹15 lakh for each worker. The commission also asked the government to set up an online portal to record details of each case of ocular trauma and make it mandatory for hospitals and medical practitioners to upload details of such cases onto the portal.

The advisory included suggestions for a public awareness campaign as well as an examination of the existing laws for mandatory use of eye safety gear worn by workers involved in hazardous activities.

Among the NHRC's suggestions were a ban on sale of fire-crackers that have the potential to cause eye trauma; ban on sale of bows, arrows, pellet guns and toys that have sharp edges; introduction of technology to reduce eye injuries due to road accidents; and mandatory safe packaging and labelling of chemicals for domestic use.

"The Commission has observed that major contributors of eye injury are road accidents (34%), sports (29%) and occupations (21%). However, the most reassuring fact is that eye injury is a preventable cause of blindness," the NHRC said in a statement.

NHRC issues advisory to Centre, states to prevent & minimise ocular trauma

https://odishatv.in/news/health/nhrc-issues-advisory-to-centre-states-to-prevent-minimise-ocular-trauma-187671

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued an advisory to the Centre, states and Union Territory (UT) administrations to prevent and minimise the impact of ocular trauma and to ensure appropriate standardised treatment and rehabilitation of victims of ocular trauma, which causes nearly five per cent of irreversible or permanent blindness.

The Commission has observed that major contributors of eye injury are road accidents (34 per cent), sports (29 per cent) and occupation (21 per cent).

The Commission, among several important recommendations, has asked the Centre, states and UT administrations particularly to identify the industries having high potential of ocular trauma and other industrial accidents and make it mandatory for owners of all such industries employing minimum 50 workers to purchase personal accident cover of minimum Rs 15 lakh for each worker engaged by them.

The establishment of a special fund has also been recommended to provide financial assistance to victims of ocular trauma.

The NHRC advisory has focused on five key areas for action by the Centre, states and UT administrations which include creation of a database on ocular trauma, prevention and minimisation of ocular trauma, treatment of ocular trauma, development of integrated ophthalmic trauma units and rehabilitation of victims of ocular trauma.

Some important recommendations made by NHRC include establishment of an online (web-based) portal or make provision in any existing portal, to record details of each case of ocular trauma.

Make every single case of ocular trauma notifiable across the country to make it mandatory for each hospital or medical practitioner to upload details of each case of ocular trauma dealt by them and to involve Integrated Child Development Scheme (ICDS) workers and school teachers to identify the victims of ocular trauma.

The NHRC has also recommended to create public awareness on major causes of ocular trauma and the care and precautions to be taken to address these causes and to identify the firecrackers which have potential to cause eye trauma and impose a ban on use of such firecrackers.

DIVYA HIMANCHAL, Online, 12.10.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

मानसिक स्वास्थ्य का महत्त्व

https://www.divyahimachal.com/2022/10/importance-of-mental-health/

10 अक्तूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाया जा सके और उन्हें मानसिक बीमारियों से बचाया जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 13 करोड़ मानसिक रोगी से अधिक और एक करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गंभीर मानसिक रोग है। इस समय भारत में मनोचिकित्सक डॉक्टरों की भारी कमी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत में एक लाख लोगों पर एक मनोचिकित्सक भी नहीं है। मानसिक बीमारी पर राष्ट्रीय गठबंधन का अनुमान है कि पांच में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मानसिक विकार या बीमारी के साथ रहता है। इस तथ्य के बावजूद कि मानसिक बीमारी के शुरुआती लक्षणों की औसत आयु 14 वर्ष है, अधिकांश व्यक्ति वयस्क होने तक मदद नहीं लेते हैं। मानसिक हेल्थ से जुड़े ऐसे लक्षणों के बारे में जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला लक्षण है लंबे समय तक उदासी होना। अगर हम किसी बुरी खबर या किसी घटना के बाद व्यक्ति लंबे समय तक उससे उबर न पाए और पुरानी घटनाओं को सोचकर उदास, दुखी रहने लगे तो ये लांग डिप्रेशन का लक्षण है। अगर दुख में व्यक्ति ने खाना-पीना या सोना कम कर दिया है तो सतर्क हो जाएं। ये गंभीर मानसिक बीमारी का संकेत हो सकता है। इसके बाद एंग्जाइटी है। इसका लक्षण क्या है? अगर किसी बात का इतना गहरा आघात लगे कि व्यक्ति अपना सुध-बुध खो दे या उसकी सोचने-समझने या बात करने का तरीका बदल गया हो तो ये संकेत सही नहीं। अगर बार-बार व्यक्ति को पैनिक अटैक आए या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर चिंता का स्तर दर्द में बदल रहा है तो ये गंभीर संकेत हैं। बार-बार मरने का ख्याल आना, अगर कोई बार-बार अपने न होने की बात करे या अपने जीने को बेकार समझे या सुसाइड के तरीकों पर बात करे तो सावधान हो जाएं। इसका मतलब है कि उसके डिप्रेशन का स्तर उसे सुसाइड करने पर फोर्स कर रहा है।

Powered By
VDO.AI
PlayUnmute
Fullscreen

अगर हम में से कोई खाना-पीना छोड़ दे, अगर कोई किसी गहरे सदमे के बाद खाना-पीना छोड़ दे या नहाने जैसी दैनिक क्रियाएं करने से बचने लगे या उसका किसी काम में मन न लगे तो संभवत: यह डिप्रेशन का कारण है। मतिभ्रम एक और कारण है। ये तब होता है जब आप बेहद थके हुए या कमजोर होते हैं। आप चीजों के बारे में मतिभ्रम कर सकते हैं और ये सिज़ोफ्रेनिया जैसे मेंटल डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। जब हमारा दिमाग थक जाता है तो हमारा शरीर

उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। अगर आप पूरा दिन सिर्फ सोने में ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अवसाद (डिप्रेशन) या अन्य मानसिक विकारों से पीड़ित हों। अगर आपको लगता है कि आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे हैं और आसानी से आपा खो देते हैं, तो यह मानसिक बीमारी का संकेत हो सकता है। ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी या शोक का एक चेतावनी संकेत है, जिसे आप लंबे समय तक सभी से छिपा सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो अक्सर अपने छात्रों के लिए रक्षा की पहली पंक्ति होते हैं। शिक्षा पेशेवरों ने उस प्रभाव को पहचाना है, जो एक छात्र के मानसिक स्वास्थ्य का सीखने और उपलब्धि पर पड़ता है और वे महसूस करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों वाले छात्रों की मदद करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विकास के संकेतों को पहचानने के तरीके प्रदान किए जाने चाहिए और आत्महत्या या आत्म-नुकसान के जोखिम सहित मानसिक स्वास्थ्य संकटों के बारे में जागरूकता और प्रबंधन के अवसर होने चाहिए। उपर बताए गए बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के ये लक्षण भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। कटु सत्य है कि भारत में मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूकता की बेहद कमी है और इससे जुड़ी चिकित्सा सुविधाओं की उससे भी ज्यादा कमी है। पिछले दिनों सुविधाओं को लेकर पिछले समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था, 'भारत में आज 13500 मनोरोग चिकित्सकों की आवश्कता है, लेकिन 3827 ही उपलब्ध हैं। 20250 क्लीनिकल मनोरोग चिकित्सकों की आवश्कता है जबकि केवल 898 उपलब्ध हैं।

इसी तरह पैरामैडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है।' प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ही 2014 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल 3500 मनोचिकित्सक हैं और आज 2019 में यह संख्या 3827 है, यानी पिछले पांच सालों में डॉक्टर्स की संख्या में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। आज क्या स्थिति है, इसका अवलोकन किया जाना जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्लूएचओ) की एक रिपोर्ट भारत में मानसिक बीमारियों के प्रति लचर रवैए को उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार देश में मानसिक इलाज के लिए वर्कफोर्स बेहद कम है। एक लाख आबादी पर यहां महज 0.3 मनोचिकित्सक, 0.12 नर्स,. 0.07 मनोवैज्ञानिक और 0.07 सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या भारत में मानसिक अस्पतालों और डॉक्टर की बदहाल स्थिति है। इस पर हमें ध्यान देना होगा। जनसंख्या के मामले में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तीन या कुछ ज्यादा मानसिक अस्पताल हैं। यूपी की आबादी 228959599 है। वहीं महाराष्ट्र जो आबादी के मामले में दूसरे नम्बर पर है, वहां की आबादी 120837347 हैं। वहां सरकारी आंकड़े के अनुसार चार मानसिक अस्पताल हैं। तीसरे बड़े जनसंख्या वाले राज्य बिहार में सिर्फ एक मानसिक अस्पताल है। बिहार की आबादी जहां 119461013 है। पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु,

हिमाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, दिल्ली और गोवा वो राज्य हैं जहां बहूत कम मानसिक अस्पताल मौजूद हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और उत्तराखंड आदि राज्यों में एक भी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सामाजिक भ्रांतियां और विभिन्न प्रकार के अन्धविश्वास तो हैं ही, यहां का स्वास्थ्य तंत्र भी मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिजनों के सहयोग में कुछ अधिक नहीं कर पाता। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के प्रति आम रवैया अपमानजनक और नकारात्मक रहता है। मानसिक रोगों को छिपाना भी आम है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अक्सर परिवार, समाज और कार्यस्थल पर बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने स्वास्थ्य बजट का केवल 0.06 प्रतिशत से कुछ ज्यादा हिस्सा ही मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है। हमारे आस पास मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों की बेहद कमी है। सामाजिक चेतना, सरकार के नीतिगत और व्यवस्थागत परिवर्तनों से ही मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। इससे जुडी कुछ जरूरी बातें हैं- मेंटल हेल्थ के इलाज में कई बार काफी लम्बा वक्त लगता है। मरीजों की परेशानी बढ़ती जाती है जिसके कारण वो परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। कई मामलों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि परिवार के लोग ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं। ऐसे मरीजों के लिए पुनर्वास का इंतजाम नहीं के बराबर है। याद रहे किसी भी तरह की मानसिक बीमारी साइलेंट किलर साबित होती है। हमें पहचानना होगा कि कहीं हम मानसिक रोगी तो नहीं हैं और इसके प्रति संजीदा होना होगा। आज ज़रूरत है कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर मोहल्ला क्लिनिक पर मनोचिकित्सक रखे जाएं। सबसे ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के मरीजों के पुनर्वास का इंतजाम करना। यह काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजट को भी बढ़ाना होगा। मानसिक रोगी के प्रति सोच बदलनी होगी।

Fatehpur News 72 घंटे बाद भी इंस्पेक्टर-दारोगा व कांस्टेबल हत्थे नहीं चढ़े हिरासत में लिए एमआर की हुई मौत

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/fatehpur-fatehpur-news-even-after-72-hours-inspector-daroga-and-constable-were-not-caught-23133702.html

धोखाधड़ी के मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए एमआर (मेडिकल रिप्रजेंटेटिव) की राधानगर थाने के बाथरूम में मृत मिलने के 72 घंटे बाद भी निलंबित इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह, दारोगा विकास सिंह व कांस्टेबल देवेंद्र यादव को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी।

उधर दिवंगत एमआर सत्येंद्र उर्फ गजेंद्र की मां रामदुलारी निवासी कीर्तिखेड़ा, ललौली ने थाने में सीओ जाफरगंज अनिल कुमार के समक्ष दहाड़ मारकर रोते हुए बयान दर्ज कराए हैं कि गुरुवार रात आठ बजे किस तरह पुलिस कर्मी नगर के जयरामनगर स्थित कमरे से उनके छोटे पुत्र को उठाकर ले गई और फिर तीन दिन थाने में रखकर प्रताड़ित कर पीट-पीटकर मार डाला।

तीन लाख रुपये मांगने का दर्ज किया था मुकदमा

रविवार को दिवंगत एमआर की मां की ओर से कोतवाली पुलिस ने उक्त इंस्पेक्टर व दारोगा के साथ थाने के चार स्टाफ कर्मियों के विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट के तहत बंधक बनाकर हत्या कर तीन लाख रुपये मांगने का मुकदमा दर्ज किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीन चिकित्सकों के पैनल ने शरीर में कोई चोट के निशान न होने के साथ सीवीए (सेरेबल वैस्कुलर एक्सीडेंट) स्ट्रोक से मौत होने की पुष्टि की थी।

सीओ जाफरगंज अनिल कुमार ने बताया कि अभी मामले की जांच की जा रही है इसलिए वह कुछ नहीं बता सकते हैं। साक्ष्य मिलने के बाद ही निलंबित इंस्पेक्टर, दारोगा व कांस्टेबल की गिरफ्तारी की जायेगी।

एसपी के हस्तक्षेप पर तीसरे दिन मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट

दिवंगत एमआर के भाई जेई अरविंद निवासी नहर कालोनी, कोतवाली ने बताया कि मंगलवार सुबह भिटौरा गंगा घाट से छोटे भाई की अस्थियां विसर्जित कर वह घर लौटा। फिर तीसरे दिन इंस्पेक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी तो नहीं दी गई। उसने एसपी से शिकायत की। तब शाम को उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई।

रिपोर्ट में सीवीए स्ट्रोक से मौत होने की पुष्टि की गई है जबकि भाई के कान के नीचे सूजन के साथ सीना व चेहरा में चोट के निशान थे। बताया कि मुकदमे के मुताबिक मां ने बयान दर्ज करा दिये हैं, अब उसे भी बयान दर्ज कराने को सीओ ने बुलाया है।

आ सकती है मानवाधिकार आयोग की टीम

इस प्रकरण की रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी भेजी गई है। दिवंगत के रिश्तेदारों में चर्चा रही कि 76 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखकर मानवाधिकार के नियम तोड़े गए हैं जिससे आयोग की टीम कभी भी जांच करने आ सकती है। मजिस्ट्रेटी टीम भी पूरे मामले की बिंदुवार जांच कर रही है। स्वजन का आरोप है कि सीएम पोर्टल में भी शिकायत भेजी है।

सहमे नए इंस्पेक्टर व दारोगा ने हवन-पूजा किया

राधानगर अस्थायी थाने में 9 मार्च 2022 को गाजीपुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के रेडीमेड कपड़ा दुकानदार ज्ञान सिंह यादव को पुलिस एक किशोरी को अगवा करने के आरोप में पकड़कर थाने लाई थी। 12 मार्च को दुकानदार ने थाने के भीतर ही जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया था।

इसके बाद अब रविवार को एमआर सत्येंद्र की मौत से पुलिस कर्मी इतना सहम गए हैं कि नये इंस्पेक्टर राजकिशोर व दारोगा सुमितदेव पांडेय ने मंगलवार सुबह पुजारी को बुलाकर थाने में हवन-पूजा कराकर परिसर का शुद्धिकरण किया। इसके बाद थाने से जुड़े शिवमंदिर में पूजा-अर्चना भी की।

किसी एजेंसी से कराएंगे जांच

पूर्व विधायक -भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सिंह मंगलवार शाम स्थानीय नहर कालोनी स्थित घर पहुंचे और दिवंगत की मां रामदुलारी, फौजी भाई रवींद्र कुमार वर्मा, शिक्षक भाई अरुण, लिपिक धीरेंद्र व जेई अरविंद कुमार को ढांढस बंधाकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

जेई अरविंद ने बताया कि निष्पक्ष जांच न होने पर पूर्व विधायक ने किसी जांच एजेंसी से जांच कराने का आश्वासन दिया है। जेई ने फरार निलंबित इंस्पेक्टर, दारोगा व कांस्टेबल को गिरफ्तार करने की मांग भी उठाई।

इन्होंने कहा...

राधानगर अस्थायी थाने में एमआर की हुई मौत की विवेचना कराई जा रही है। दर्ज मुकदमे में अज्ञात चार स्टाफ कर्मियों को भी विवेचना में चिह्नित किया जाएगा। एमआर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीवीए स्ट्रोक से मौत होने की पुष्टि हुई है। विवेचना दौरान साक्ष्य मिलने के बाद ही निलंबित इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह, दारोगा विकास सिंह व कांस्टेबल देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की जाएगी।

PIONEER (HINDI), Lucknow, 12.10.2022
Page No. 1, Size:(10.81)cms X (12.40)cms.

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए हसन के खिलाफ याचिकाएं की मंजूर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने तलाक-ए-हसन और अन्य सभी प्रकार के एकतरफा न्याएत्तर तलाक को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को मंगलवार को स्वीकार कर लिया। तलाक-ए-हसन के तहत मुस्लिम समुदाय के पुरुष तीन महीने की अवधि में प्रति माह एक बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ सकते हैं। न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य को चार हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ भी शामिल है। पीठ ने कहा कि निजी प्रतिवादी **(शेष पेज 4)**

सुप्रीम कोर्ट...

(पति) के वकील उसकी ओर से पेश हुए और यह बात दोहराई कि वह गुजारा भत्ते के मुद्दे पर समझौता करने के लिए सहमत नहीं है। अंतिम सुनवाई के लिए विषय को जनवरी के तीसरे हफ्ते में सूचीबद्ध किया जाए। शीर्ष न्यायालय तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें एक याचिका गाजियाबाद निवासी बेनजीर हिना ने दायर की है। उन्होंने एकतरफा न्याएत्तर तलाक-ए-हसन की पीड़िता होने का दावा किया है। उन्होंने तलाक के लैंगिक एवं धार्मिक रूप से तटस्थ और सभी नागरिकों के लिए एक समान आधार के वास्ते दिशानिर्देश तैयार करने का केंद्र को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। इससे पूर्व, शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पतियों से याचिकाओं पर जवाब मांगा था। मंगलवार को सुनवाई शुरू होने पर बेनजीर के पति की ओर से न्यायालय में पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल की अपनी पत्नी के साथ विवाद में कोई समझौता संभव नहीं है।

DECCAN HERALD, Bengaluru, 12.10.2022
Page No. 6, Size:(7.96)cms X (23.20)cms.

A flogging of the rule of law

The flogging in public of some Muslim youth by Gujarat police personnel in Kheda district of the state is the latest case of vigilantism and instant justice, which is increasingly being resorted to in many parts of the country. Videos of the youth being tied to a pole and beaten and humiliated, allegedly for throwing stones at a garba event in a village, have gone viral, and they show how the well-accepted norms of justice are breaking down in the country. The irony is that it is the police, who should ensure that such cases of instant and brutal justice do not take place, that flogged the hapless youth and made a spectacle of it, only to prove a lawless point to the public. The police top brass in the state have said the matter will be investigated. But the state's Home Minister Harsh Sanghavi has praised the police for ensuring 'safe' garba events. The National Human Rights Commission (NHRC) has not responded to the incident.

The flogging of people is not an isolated incident. Houses of people who protest against the government are flattened with bulldozers. People who are accused of offences are shot dead by the police in encounters, sometimes on demand from sections of people. Girls and boys who walk together are beaten up. People face the risk of being caught, judged without a hearing and punished summarily, and the risk is many times more for a Muslim. No deterrent action is taken in accordance with the law to deal with vigilante actions and cases of summary punishment. Those who were accused of flogging members of a Dalit family in the name of cow protection in Una in Gujarat in 2016 have yet to be brought to justice. Police personnel who act outside the law often go scot-free.

The lawlessness of authorities is a path towards anarchy

The justice system demands that a person should be treated as innocent till proved guilty through due process. No one has the right to take the law into their hands and don the role of judge, jury and executioner. Arguments that the course of justice is slow and that many guilty people escape punishment are not enough to bypass the basic norms and processes of rule of law. Primitive notions of retribution and crude methods of punishment are coming into vogue, along with atavistic passions and attitudes, and unfortunately wrong and extra-legal actions are gaining legitimacy and currency. The result will be a breakdown of law and order and anarchy in the country. When the society is increasingly getting disrupted along divisions of caste, community, religion, region, etc., the rising lawlessness of the law-enforcing authorities will deepen the fault lines and aggravate conflicts.

TELEGRAPH, Kolkata, 12.10.2022
Page No. 4, Size:(9.45)cms X (10.03)cms.

Focus on fuel, sharp toys in advice on eye damage

R. BALAJI

New Delhi: Promoting clean fuel and well-ventilated kitchens and banning bows, arrows and sharp toys can help minimise eye injury, the National Human Rights Commission has told governments.

The advisory, issued on Tuesday to the Centre, states and Union Territories, also asks them to ensure standardised treatment and rehabilitation for patients of ocular trauma, saying eye injury causes about five per cent of irreversible blindness in the country.

Issued on behalf of the NHRC chairperson, Justice (retd) Arun Mishra, the release says the major contributors to eye injury are road accidents (34 per cent), sports (29 per cent) and the workplace (21 per cent). However, it adds, such injury need not lead to blindness.

The NHRC has asked governments to identify industries with high potential for causing ocular trauma and other industrial accidents. It should be made mandatory for those among these industries that employ 50 or more workers to purchase personal accident cover of at least Rs 15 lakh for each worker, it has recommended.

The NHRC has proposed the establishment of a special fund to provide financial aid to victims of ocular trauma. Some of the recommendations:

■ Organise eye check-up camps at schools, colleges, slums, industrial clusters and rural areas to detect untreated ocular trauma.

■ Promote clean fuel and well-ventilated kitchens to prevent eye damage to people cooking at homes, restaurants and community kitchens.

■ Ban the sale of bows, arrows, pellet guns, toys with sharp edges, and other toys that can cause eye injuries.

■ Identify and ban firecrackers that may cause eye trauma.

■ Get an online (web-based) portal to record details of each case of ocular trauma, including the mechanism, circumstances and the objects that caused the trauma.

■ Make it mandatory for each hospital or medical practitioner to upload details of each case of ocular trauma they encounter.

■ Involve Integrated Child Development Scheme workers and schoolteachers to identify victims of ocular trauma, counsel them to get treatment, and upload their details on the online portal.

■ Create public awareness on the major causes of ocular trauma and the precautions needed to avoid eye injury.

■ Make the use of eye safety gear mandatory for workers engaged in activities that may cause eye injury.

TRIBUNE, Delhi, 12.10.2022
Page No. 11, Size:(2.39)cms X (6.54)cms.

Petitions against Talaq-e-Hasan admitted by SC

NEW DELHI, OCTOBER 11

The Supreme Court on Tuesday admitted pleas seeking 'Talaq-e-Hasan' and all other forms of "unilateral extrajudicial divorce" to be declared unconstitutional.

'Talaq-e-Hasan' is a form of divorce among Muslims by which a man can dissolve the marriage by pronouncing the word 'talaq' once every month over a three-month period.

A three-judge Bench asked the Centre, National Commission for Women, National Human Rights Commission and others to file their responses within four weeks.

The court was hearing three petitions, including the one filed by Ghaziabad resident Benazeer Heena, who claimed to be victims of unilateral extra-judicial Talaq-e-Hasan.. — PTI

HINDU, Mumbai, 12.10.2022
Page No. 10, Size:(5.19)cms X (8.23)cms.

NHRC issues advisory on preventing ocular trauma

The National Human Rights Commission on Tuesday issued an advisory to the Union and State governments to prevent and minimise the impact of ocular trauma, which it said causes 5% of permanent blindness. The NHRC asked the government to identify the industries that have a high potential of ocular trauma and make it mandatory for such units with 50 workers or more to have accident cover of ₹15 lakh for each worker. Among the NHRC's suggestions were a ban on sale of fire-crackers that have the potential to cause eye trauma; ban on sale of bows, arrows, pellet guns and toys that have sharp edges; and mandatory safe packaging and labelling of chemicals for domestic use.

HINDU, Chennai, 12.10.2022
Page No. 14, Size:(5.19)cms X (8.23)cms.

NHRC issues advisory on preventing ocular trauma

The National Human Rights Commission on Tuesday issued an advisory to the Union and State governments to prevent and minimise the impact of ocular trauma, which it said causes 5% of permanent blindness. The NHRC asked the government to identify the industries that have a high potential of ocular trauma and make it mandatory for such units with 50 workers or more to have accident cover of ₹15 lakh for each worker. Among the NHRC's suggestions were a ban on sale of fire-crackers that have the potential to cause eye trauma; ban on sale of bows, arrows, pellet guns and toys that have sharp edges; and mandatory safe packaging and labelling of chemicals for domestic use.

HINDU, Vijayawada, 12.10.2022
Page No. 1, Size:(5.19)cms X (8.23)cms.

NHRC issues advisory on preventing ocular trauma

The National Human Rights Commission on Tuesday issued an advisory to the Union and State governments to prevent and minimise the impact of ocular trauma, which it said causes 5% of permanent blindness. The NHRC asked the government to identify the industries that have a high potential of ocular trauma and make it mandatory for such units with 50 workers or more to have accident cover of ₹15 lakh for each worker. Among the NHRC's suggestions were a ban on sale of fire-crackers that have the potential to cause eye trauma; ban on sale of bows, arrows, pellet guns and toys that have sharp edges; and mandatory safe packaging and labelling of chemicals for domestic use.

TRIBUNE, Chandigarh, 12.10.2022
Page No. 11, Size:(8.39)cms X (22.12)cms.

Petitions against Talaq-e-Hasan admitted by SC

NEW DELHI, OCTOBER 11

The Supreme Court on Tuesday admitted pleas seeking 'Talaq-e-Hasan' and all other forms of "unilateral extrajudicial divorce" to be declared unconstitutional.

'Talaq-e-Hasan' is a form of divorce among Muslims by which a man can dissolve the marriage by pronouncing the word 'talaq' once every month over a three-month period.

A three-judge Bench asked the Centre, National Commission for Women, National Human Rights Commission and others to file their responses within four weeks.

The court was hearing three petitions, including the one filed by Ghaziabad resident Benazeer Heena, who claimed to be victims of unilateral extra-judicial Talaq-e-Hasan.. —PTI